बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 235440 दिनांक :- 19/06/15

ग्रा0वि0-3/स्था0-1-47/15

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी उप विकास आयुक्त, बिहार

विषय :- ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अवकाश स्वीकृति से संबंधित दिशा-निर्देश के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अवकाश स्वीकृति से संबंधित दिशा-निर्देश की मांग की जा रही हैं । इस संबंध में विभागीय पत्रांक 183014 दिनांक 15.04.14 द्वारा पूर्व में ही दिशा-निर्देश दिया जा चुका है ।

अत: पुन: विभागीय पत्रांक 183014 दिनांक 18.04.14 की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त ।

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 235440 दिनांक:- 19/06/15

प्रतिलिपि- सभी गामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

(2)

183

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 188014 / पटना, दिनांक- 15.04.14

ग्रा0वि0-1/स्था0(प्रशिक्षण)-36/2013

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- **बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी (वेतनमान रू0 9300-34800(पे बैंड-2) + ग्रेड पे-4200) के अवकाश स्वीकृत किए जाने की शक्ति प्रदत किए जाने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी की औपबन्धिक नियुक्ति हो चुकी है और ये सांस्थिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इनके अवकाश स्वीकृति के संबंध में महानिदेशक, बिपार्ड एवं जिलों से विभाग को निर्णय/मार्गदर्शन के संबंध में पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के मूल कोटि के ग्रामीण विकास पदाधिकारी को निम्न रूप से आकस्मिक/उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाती है :-

1.	आकस्मिक अवकाश / प्रतिबन्धित अवकाश	ग्रामीण विकास पदाधिकारी के ठीक उपर के स्तर के ऐसे पदाधिकारी, जिसके अधीन ये कार्यरत हैं ।
2.	30 दिनों तक उपार्जित अवकाश ।	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी ।
3.	30 दिनों से 90 दिनों तक उपार्जित अवकाश ।	संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त ।
4.	90 दिनों से अधिक अवधि के लिए उपार्जित अवकाश ।	प्रधान सचिव/सचिव ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

(प्रमोद कुमार बिहारी)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 182014 / पटना, दिनांक- 15.04.14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी नव नियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव ।

①
182

ज्ञापाक 183014 /

पटना, दिनांक- 15.04.14

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी(प्रशाखा पदाधिकारी सहित) एवं श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करेगें ।

विशेष सचिव ।